

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(व०आ०-सा०नि०)अनुभाग-७  
संख्या-२१५ / XXVII(7)56/2007टी०सी०  
देहरादून : दिनांक १८ नवम्बर, 2015

अधिसूचना संख्या-२१५ / XXVII(7)56/सा०दिनांक १८/११/२०१५द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 2015” की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 200 प्रतियाँ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग-७ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

संलग्नक— यथोपरि।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-७  
संख्या-२१५ /XXVII(7)56/2007टी०सी०  
देहरादून : दिनांक /४ नवम्बर, 2015

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 2015**

संक्षिप्त नाम और 1- (1)- इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) प्रारम्भ नियमावली, 2015 है।

2- (2)- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 के उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के उपनियम (3) का नियम-2 के उपनियम-(3) में नीचे स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम संशोधन रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1  
वर्तमान नियम

(3) यह नियमावली राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हो या स्थायी हो, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी;

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(3) यह नियमावली राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हो या स्थायी हो, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी;

परन्तु यह की जो कर्मचारी दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुये हैं परन्तु वे उक्त तिथि के पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में थे और पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे तथा जिनकी पुरानी राजकीय सेवा और नई राजकीय सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं हुआ है, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से ही आच्छादित होंगे।

परन्तु यह कि जो कर्मचारी दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुये हैं परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या अन्य राज्य सरकारों के अधीन सेवा में अस्थायी/स्थाई रूप से नियुक्त थे और पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे तथा जिनकी पुरानी राजकीय सेवा और नई राजकीय सेवा के मध्य कोई व्यवधान न हो तो ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित होंगे, बशर्ते कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गयी हो। यदि किसी

प्रशासकीय कारण से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा हो और त्यागपत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया हो कि ऐसा त्यागपत्र उचित अनुमति से प्रशासकीय कारणों अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया था।

प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या अन्य राज्य सरकारों के अधीन सेवा में नियमित नियुक्त कार्मिकों को, जिनकी सेवायें पेंशनेबुल रही हो, को उनकी पूर्व में की गयी सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने के दृष्टिगत उन्हें अपने पूर्व पैतृक सेवायोजक यथा केन्द्र सरकार, केन्द्रशासित प्रदेश या अन्य राज्य सरकारों के अधीन की गई कुल सेवावधि के आधार पर अनुमन्य पेंशन उपादान, राशिकरण की राशि एवं अवकाश अंशदान की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में लागू नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराना होगा।

उक्त कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशियों का अन्तरण एवं रखरखाव उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

(डॉ एम०सी० जोशी)  
सचिव।